



आजादी का
अमृत महोत्सव

बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

क्षेत्रीय कार्यालय, सिटी रोड, प्रतापगढ़ - 230001
(ई मेल : roprat@barodauprrb.co.in)

सार्वजनिक बिक्री
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 11.07.2024
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों), 2002 के नियम 6(2) और / या

नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू0 पी0 बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रें) / गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू0 पी0 बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है", जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 10.07.2024 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय - मीरा भवन प्रतापगढ़ लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 11.07.2024 को दोपहर 1:00 बजे खोली जायेगी।

क्र0 सं0	बकायेदार/जमानदार का नाम, पता व खाता संख्या	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु0)	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ (ईएमडी) (रु0)	विवाद का विवरण/ अचल सम्पत्ति का विवरण
शाखा : साहबगंज, खाता सं0- 53720500000604 व 53720500000591						
1.	ऋणकर्ता: श्री विवेक सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह पता: ग्राम + पोस्ट:- हंडौर, जिला- प्रतापगढ़ जमानतकर्ता: 1. श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री धिसियावान सिंह पता: ग्राम + पोस्ट:- हंडौर, जिला- प्रतापगढ़ 2. श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश बहादुर सिंह, पता: ग्राम + पोस्ट:- हंडौर, जिला- प्रतापगढ़ 3. श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह पता: ग्राम + पोस्ट:- हंडौर, जिला- प्रतापगढ़	कानूनी बंधक- भूमि एवं भवन प्लॉट संख्या 437, क्षेत्रफल 1480 वर्ग फुट, जो ग्राम + पोस्ट- हंडौर, तहसील- लालगंज, जिला प्रतापगढ़ (उ0प्र0) में स्थित है मालिक: श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह पता: ग्राम + पोस्ट- हंडौर, जिला-प्रतापगढ़ (उ0प्र0) चौहददी:- पूर्व- अनिल प्रताप सिंह का घर, पश्चिम- खरंजा रास्ता, फिर अवधेश बहादुर सिंह का घर, उत्तर- राम सिंह का घर, दक्षिण- आशा सिंह का घर।	मांग सूचना की तिथि 30.01.2020 अधिग्रहण सूचना की तिथि 16.12.2020 सांकेतिक	रु 34,19,550/- + दिनांक 01.01.2020 से देय ब्याज अनु अनुमन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा की गई राशि घटाये)	आरक्षित धनराशि ₹ 34,62,000/- अग्रिम धनराशि ₹ 3,46,200/-	बैंक को ज्ञात नहीं है

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहुरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैना कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र के साथ (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में प्रतापगढ़ में देयव्यय एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरेश्वर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन/अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/ सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/ देनदारियों/ भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. सफल नीलामी के लिए स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क, संपत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का वहन स्वयं करना होगा। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. यह बोलीदाताओं की एकमत जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराध 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यवाह पर संबंधित खाता से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 10. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जमानत / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 11. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गए लिंक यानी <https://www.barodaupbank.in/sarfaesinotice.php>

दिनांक:- 03.06.2024

स्थान:- प्रतापगढ़

प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक